Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Article 370 in Jammu & Kasmir.

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं बाबा महाकाल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं लगभग चार हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए । आज उनकी कृपा हुई । अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है । मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ।

एक ऐसा समय था, जब धारा **370** लागू थी और हम वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते थे । लेकिन मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान का खात्मा किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से धारा **370** हटाने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी, राष्ट्रवाद के इस आंदोलन की नींव के पत्थर परम आदरणीय जनसंघ के संस्थापक स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत का आज तक कुछ पता नहीं चल सका ।

महोदय, जिस प्रकार से स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने देश में **8** मई, **1953** को बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसके कारण **11** मई को उन्हें पंजाब, जम्मू की सीमा पर स्थित रावी नदी के पुल पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।...(व्यवधान)

सर, एक मिनट । लेकिन जेल में एक राजनीतिक कैदी होने के कारण उनसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया गया और स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जिस जेल में रखा गया था, वह उजाड़ थी । 23 जून, 1953 को उनकी रहस्यमयी मौत हो गई । यह एक सोची-समझी राजनीतिक हत्या थी ।... (व्यवधान) सर, मेरा आपसे निवेदन है ।...(व्यवधान)